मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१९

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१९

विषय-सूची.

खण्ड :-

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा १२ का संशोधन.

३. धारा १७ का संशोधन.

४. धारा २० का संशोधन.

५. धारा २३ का संशोधन.

६. धारा २५ का संशोधन.

७. धारा २७ का संशोधन.

८. धारा ३० का संशोधन.

९. धारा ३२ का संशोधन.

१०. धारा ३४ का संशोधन.

११. धारा ३८ का संशोधन.

१२. धारा ४९-क का संशोधन.

१३. धारा १२५ का संशोधन.

१४. धारा १२६ का संशोधन.

१५. धारा १२७ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१९

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

धारा १२ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १२ में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तुक यह भी कि यदि ग्राम पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो वार्डों का परिसीमन प्रभावी नहीं होगा.".

धारा १७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(७) यदि कोई सरपंच या उपसरपंच या पंच, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसायटी का सभापति या उपसभापति या किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर परिषद् का महापौर या अध्यक्ष या पार्षद हो जाता है, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति, सरपंच या उपसरपंच या पंच के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि ऐसा व्यक्ति शपथ लेता है या ऐसे अन्य पद का प्रभार ग्रहण करता है और यह समझा जाएगा कि ऐसे पूर्ववर्ती पद में धारा ३८ के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्ति हो गई है.".

धारा २० का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "३० दिन" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "१५ दिन" स्थापित किए जाएं.

धारा २३ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २३ में, उपधारा (१) में, विद्यमान द्वितीय परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि यदि जनपद पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन प्रभावी नहीं होगा.".

धारा २५ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २५ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(५) यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसायटी का सभापति या उपसभापति या किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर परिषद् का महापौर या अध्यक्ष या पार्षद हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि ऐसा व्यक्ति शपथ लेता है या ऐसे अन्य पद का प्रभार ग्रहण करता है और यह समझा जाएगा कि धारा ३८ के प्रयोजन के लिए ऐसे पूर्ववर्ती पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है.".

धारा २७ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २७ में, उपधारा (१) में, शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह दिन" स्थापित किए जाएं.

धारा ३० का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उपधारा (१) में, विद्यमान द्वितीय परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि यदि जिला पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन प्रभावी नहीं होगा.".

धारा ३२ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ३२ में, उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(५) यदि किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसायटी का सभापति या उपसभापति या किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर परिषद् का महापौर या अध्यक्ष या पार्षद हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि ऐसा व्यक्ति शपथ लेता है या ऐसे अन्य पद का प्रभार ग्रहण करता है और यह समझा जाएगा कि ऐसे पूर्ववर्ती पद में धारा ३८ के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्ति हो गई है.".

धारा ३४ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ३४ में उपधारा (१) में, शब्द "तीस दिन" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह दिन" स्थापित किए जाएं.

धारा ३८ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ३८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) किसी पंचायत पदाधिकारी की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने या उसके द्वारा त्याग पत्र दिये जाने या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने या उसको हटा दिये जाने या उसके राज्य विधान सभा का सदस्य या संसद के किसी सदन का सदस्य हो जाने या किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर परिषद् या महापौर या अध्यक्ष या पार्षद हो जाने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा यथाशक्य शीघ्र भरी जाएगी.".

धारा ४९-क का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ४९-क में, खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात:—

"(दो) गौशाला तथा कांजी हाऊस स्थापित करना तथा उसका प्रबंध करना और भटके हुए पशुओं की उचित देखरेख करना;".

धारा १२५ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा १२५ में, उपधारा (१) में, विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि यदि किसी ग्राम पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तो ऐसा परिसीमन प्रभावी नहीं होगा.".

धारा १२६ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा १२६ में, उपधारा (१) में, विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि यदि ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र, किसी नगर परिषद् या नगरपालिका या नगरपालिक निगम में सम्मिलित किया जाता है तो ऐसी ग्राम पंचायत उस तारीख से, विघटित की गई समझी जाएगी जिसको कि उस वार्ड का पार्षद जिसमें कि ग्राम पंचायत का उक्त क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, निर्वाचित होता है:

परन्तु यह भी कि जहां ग्राम पंचायत का कोई भाग, किसी नगरपरिषद्, नगरपालिका या नगरपालिक निगम में सम्मलित किया गया है और वार्डों की न्यूनतम संख्या कम होती है तब ऐसी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की कालावधि के पूर्ण होने तक कार्य करती रहेगी.".

धारा १२७ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा १२७ में, उपधारा (१) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि यदि ग्राम पंचायत का क्षेत्र जनपद पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आता है और जिला पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर भी आता है, तब जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आएगा:

परन्तु यह भी कि यदि ऐसी जनपद पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है, तो जनपद पंचायत के मुख्यालय का परिवर्तन या निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में, कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए हैं. तत्पश्चात्, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) को यथोचित रूप से संशोधित किए जाने का विनिश्चय किया गया है.

२. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:—

(एक) परिसीमन की प्रक्रिया प्रभावशील नहीं होगी यदि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है. अतएव धारा १२, २३ तथा ३० में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

(दो) यदि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पदाधिकारी, संसद सदस्य या राज्य विधान सभा सदस्य हो जाते हैं या किसी सहकारी सोसाइटी के सभापति या उप सभापति हो जाते हैं या स्थानीय निकाय के पदाधिकारी हो जाते हैं, तो यह समझा जाएगा कि पदाधिकारियों ने उनके ऐसे पद ग्रहण करने की तारीख से अपने पद रिक्त कर दिए हैं और यह समझा जाएगा कि पंचायतों के ऐसे पदों में अधिनियम की धारा ३८ के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्ति हो गई है. अतएव, धारा १७, २५ तथा ३२ को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

(तीन) वर्तमान में, पंचायत का प्रथम सम्मिलन, पदाधिकारियों के नामों के प्रकाशन की तारीख से ३० दिन के भीतर बुलाया जाता है. अब सम्मिलन बुलाए जाने के लिए ३० दिन के स्थान पर १५ दिन प्रस्तावित किया गया है. अतएव, धारा २५, २७ तथा ३४ को संशोधित किया जा रहा है.

(चार) धारा १७, २५ तथा ३२ को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, अतएव, धारा ३८ में पारिणामिक संशोधन आवश्यक है.

(पांच) धारा ४९-क में उपबंध अंत:स्थापित किया गया है कि ग्राम पंचायत का कर्तव्य होगा कि वह गौशाला तथा कांजी हाऊस स्थापित करे तथा उनका प्रबंध करे और भटके हुए पशुओं की उचित देखरेख करे.

(छह) जहां ग्राम पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है तब धारा १२५ की उपधारा (१) में विहित परिवर्तन प्रभावी नहीं होंगे. अतएव धारा १२५ को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

(सात) यदि ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र, स्थानीय निकाय के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है तो ऐसी ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय के प्रथम सम्मिलन की तारीख से समाप्त कर दी गई समझी जाएगी और जहां पंचायत का कोई भाग स्थानीय निकाय में सम्मिलित किया गया है और पंचायत में वार्डों की न्यूनतम संख्या कम हो जाती है तो पंचायत, ऐसी विशेष परिस्थितियों में, पंचायत की कालावधि के पूर्ण होने तक कार्य करती रहेगी. अतएव, अधिनियम की धारा १२६ को संशोधित किया जाना आवश्यक है.

(आठ) यह प्रस्तावित है कि यदि ग्राम पंचायत का क्षेत्र, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आता है और जिला पंचायत के क्षेत्र के भीतर भी आता है तब जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आएगा. जनपद पंचायत के मुख्यालय में परिवर्तन या निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन प्रभावशील नहीं होगा यदि जनपद पंचायत की बची हुई कालावधि छह माह से कम है, अतएव धारा १२७ को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १७ फरवरी, २०१९

कमलेश्वर पटेल
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) से उद्धरण

* * * * *

१. **धारा १२.** प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को दस से अन्यून वार्डों में, जैसा कलक्टर अवधारित करे विभाजित किया जाएगा तथा प्रत्येक वार्ड एक सदस्यीय वार्ड होगा :

परंतु जहां ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या एक हजार से अधिक हो, वहां उसे ऐसी रीति में वार्डों में विभाजित किया जाएगा जिससे कि वार्डों की कुल संख्या बीस से अधिक न हो और प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या यथासाध्य एक जैसी ही होगी:

परंतु यह और भी कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या का और ऐसी पंचायत में वार्डों की संख्या के बीच का अनुपात, ऐसे संपूर्ण खण्ड के लिए जिसके भीतर पंचायत क्षेत्र आता है, यथासाध्य एक जैसा ही होगा.

* * * * *

२. **धारा १७.** (७) यदि सरपंच या उपसरपंच संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति हो जाता है, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति सरपंच या उपसरपंच के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि वह ऐसा सदस्य या सभापति या उपसभापति हुआ है और यह समझा जायेगा कि ऐसे पद में धारा ३८ के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्ति हो गई है.

* * * * *

३. **धारा २०.** (१) ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मिलन धारा १९ अधीन प्रकाशन की तारीख से ३० दिन के भीतर किया जाएगा. ऐसा सम्मिलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जायेगा, और सम्मिलन के संबंध में धारा ४४ के उपबन्ध यथाशक्य उक्त सम्मिलन को लागू होंगे.

* * * * *

४. **धारा २३.** (१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी खण्ड को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी जिससे कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासाध्य पॉच हजार हो और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा.

परन्तु जहॉ किसी खण्ड की जनसंख्या पचास हजार से कम है वहॉ उस खण्ड को कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथाशक्य एक जैसी होगी,

परन्तु यह और भी कि किसी खण्ड में निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या पच्चीस से अधिक नहीं होगी.

५. **धारा २५.** धारा २५ (५) यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि वह ऐसा सदस्य या सभापति या उपसभापति हुआ है और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है.

* * * * *

६. **धारा २७.** (१) जनपद पंचायत का प्रथम सम्मिलन धारा २६ के अधीन प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा. ऐसा सम्मिलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और सम्मिलन के संबंध में धारा ४४ के उपबन्ध यथाशक्य उक्त सम्मिलन को लागू होंगे.

* * * * *

७. **धारा ३०.** (१) उपधारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी जिले को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी जिससे कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाध्य पचास हजार हो और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा.

परंतु जहां किसी खण्ड की जनसंख्या पांच लाख से कम है, वहां उस जिले को कम से कम दस निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथाशक्य एक जैसी होगी,

परंतु यह और भी कि किसी जिले में निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या पैंतीस से अधिक नहीं होगी.

* * * * *

८. **धारा ३२.** (५) यदि किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसायटी का सभापति या उपसभापति हो जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद उस तारीख से रिक्त कर दिया है जिसको कि वह ऐसा सदस्य या सभापति या उपसभापति हो जाता है और धारा ३८ के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है.

* * * * *

९. **धारा ३४.** (१) जिला पंचायत का प्रथम सम्मिलन धारा ३३ के अधीन प्रकाशन की तारीख से ३० दिन के भीतर किया जाएगा. ऐसा सम्मिलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा, और सम्मिलन के संबंध में धारा ४४ के उपबन्ध यथाशक्य उक्त सम्मिलन को लागू होगें.

* * * * *

१०. **धारा ३८.** (१) (क) पंचायत के किसी पदधारी की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने, या उसके द्वारा त्यागपत्र दिये जाने, या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने या उसके हटा दिये जाने या उसके राज्य विधान सभा का सदस्य या संसद के किसी सदन का सदस्य हो जाने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन द्वारा यथाशक्य शीघ्र भरी जायेगी.

* * * * *

११. **धारा ४९-क.—ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य**—इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, तथा ऐसी नीतियों, निर्देशों, अनुदेशों, साधारण या विशेष आदेशों के जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, अध्यधीन रहते हुए ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

(एक) पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना तथा उसे जनपद पंचायत की योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए विहित समय के भीतर जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना;

[(दो) से (चार) लुप्त]

(पांच) किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई या जो उसे केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा सौंपी गई हों, ऐसी स्कीमों, संकर्मों, परियोजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना;

[(छह) से (आठ) लुप्त]

(नौ) धारा ६१-क में यथा परिभाषित ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाली कालोनियों की स्थापना के लिये आवेदनों पर विचार करना.

[(दस) से (चौदह) लुप्त]

(पन्द्रह) स्थानीय योजनाओं, संसाधनों और ऐसी योजनाओं के लिए व्ययों पर नियंत्रण रखना.

[(सोलह) ग्राम सभा द्वारा गठित की गई समितियों के क्रियाकलापों का समन्वय करना, मूल्यांकन करना और उनको मानीटर करना;

(सत्रह) ग्राम सभा को समनुदेशित कृत्यों से संबंधित संकर्मों, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये मानदंडों के अनुसार ग्राम सभा को पुनः आवंटित करना.]

* * * * *

१२. **धारा १२५.** (१) राज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी ग्राम पंचायत के मुख्यालय को बदल सकेगा या किसी ग्राम पंचायत की सीमाओं में किसी ऐसे क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र को, जो उसके सामीप्य में हो, सम्मिलित करके या उसमें से किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को, जो उसमें समाविष्ट हो, अपवर्जित करके, परिवर्तित कर सकेगा या दो या अधिक ग्राम पंचायतों को समामेलित कर सकेगा और उसके स्थान पर एक ग्राम पंचायत गठित कर सकेगा या किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र को विभाजित कर सकेगा और उसके स्थान पर दो या अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र गठित कर सकेगा.

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि इस निमित्त कोई प्रस्ताव, सुझाव तथा आक्षेप आमंत्रित करते हुए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित न कर दिया गया हो और आक्षेपों पर विचार न कर लिया गया हो.

* * * * *

१३. **धारा १२६.** (१) राज्यपाल या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी ग्राम को विस्थापित कर सकेगा:

परंतु कोई भी ऐसा आदेश तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक की प्रस्ताव की ऐसी सूचना, जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख तक आमंत्रित करते हुए विहित रीति से प्रकाशित न कर दी गयी हो और प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार न कर लिया गया हो.

* * * * *

१४. **धारा १२७.** (१) राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा किसी खण्ड के मुख्यालय में परिवर्तन या सीमाओं में किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को, जो उसके समीप्य में है, सम्मिलित करके या उसमें से किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र को जो उसमें समाविष्ट है, अपवर्जित करके परिवर्तन कर सकेगां.

परंतु कोई भी ऐसी अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे आशय को संज्ञापित करने वाली ऐसी सूचना, जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनका खण्डों की सीमाओं में किए जाने वाले परिवर्तन से प्रभावित होना संभाव्य है, आक्षेप विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख तक आमंत्रित करते हुए, विहित रीति में प्रकाशित न कर दी गयी हो तथा प्राप्त हुई आपत्तियों पर विचार न कर लिया गया हो.

परंतु यह और भी कि किसी खण्ड के मुख्यालयों में परिवर्तन संबंधी ऐसी अधिसूचना तभी जारी की जाएगी जबकि वह खण्ड की सीमाओं के बाहर स्थित उसके मुख्यालय को उस खण्ड की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में परिवर्तित करने के उद्देश्य से जारी की गई हो, अन्यथा नहीं.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.